

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर की विचारधारा से शिक्षा का स्वरूप

अमितकुमार गणेश शिंगणे

संशोधक विद्यार्थी

एम. ड. एस. कॉलेज मेहकर,

जिल्हा बुलढाणा.

सारांश -

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक विचार हैं। जो की प्रेरणादायी और प्रवाहात्मक हैं। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर एक ऐसे मानव थे जो समाज के हर एक क्षेत्र में उन्नति लाना चाहते थे। देश के हर एक व्यक्ति को उनके समाज के प्रवाह में लाना चाहते थे। जिसमें समाज में फैला जातिभेद, उच्च नीच का भाव, गरीबी-अमीरी, छुआछूत ये सारे भेदभाव नष्ट होकर समाज एक ही छत्र के नीचे के भाई चारे के साथ रहे। मगर इस सपने को सच करना इतना आसान नहीं था। इसलिये डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ने गरीब, पिछले वर्ग और अछूत को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए एक अस्त्र दिया जिसका नाम था शिक्षा। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर का कहना था की, "शिक्षा शेरनी का दूध है" इसलिये समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा का हक होना चाहिये। शिक्षा का हक समाज के हर एक व्यक्ति को मिलने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में इसलिये प्रावधान भी किया हैं। आजकी भारतीय शिक्षा नीती और डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर शिक्षा नीती के बारे में क्या चाहते थे। इस विषय पर विचार विमर्श इस शोधपत्रिका में किया गया हैं।

प्रस्तावना -

इकीसवी सदी की अगर बात करें तो जागतिक स्तर पर सबसे बुद्धिमानो का नामांकन हुआ उसमें डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर का नाम शीर्ष स्थान पर हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्की दुनिया के महत्वपूर्ण देशो में जो विद्वानोकी गणना हुयी उसमें डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ही ऊपर दिखाई देंगे। मगर सोचने वाली बात हैं भारत में जाग्रति कारण के बाद अगर शिक्षा का विचार करे तो शिक्षा जैसे भुलभुलैया के रास्ते पर हैं। भारत में शिक्षा नीति अभी भी अँग्रेजो की जमाने की कारकुनी बनाने वाली हैं। व्यक्ति परिपूर्ण तरीके से उन्नति का दृष्टिकोण आज भी कोसो दूर दिखाई दे रहा हैं। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर शिक्षा नीति में हमेशा अग्रणी रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ हर एक व्यक्ति, समाज और देश-विदेश में सबको पढाने के उद्देश से ग्रंथो में अँग्रेजी भाषा का चयन किया। उनकी खुद की लायब्ररी में 32,000 ग्रंथ थे। ऐसी बडी ग्रंथ संपदा रखनेवाले डॉ. बाबासाहब

आम्बेडकर एक विशिष्ठ व्यक्ति थे। इससे हमें उनके मन में शिक्षा के प्रति जो लगाव है वह महसूस होता है। इसलिये डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर की विचारधारा से शिक्षा का स्वरूप जानना और समझना महत्वपूर्ण है। इस शोधपत्रिका में डॉ. बाबासाहब आम्बेडकरने समाज की जो शिक्षा का महत्व समझाया उसे समझने का प्रयास किया है।

### कीवर्ड -

**शिक्षा नीती** - शिक्षा प्रणाली को नियन्त्रित करने वाले सभी सिद्धान्तों एवं नियम-कानूनों के समुच्चय।

**अछूत** - जो छूने योग्य न हो, नीच जाति का, अंत्यज।

**अनुसूचित जाती** - आधिकारिक तौर पर यह लोगों के नामित समूह हैं और भारत में सबसे वंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों में से हैं।

**प्रतिनिधित्व** - किसी पक्ष का मत रखना या किसी पक्ष से जुड़ी चर्चा में हिस्सा लेना।

### उद्देश्य -

1. डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के वक्त शिक्षा का स्तर किस प्रकार का था।
2. डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के दृष्टिकोन से शिक्षा का महत्व समझना।
3. डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के नजरिये से शिक्षा कैसी होनी चाहिये।
4. वर्तमान स्थिती में शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है यह जनना।
5. आजकी शिक्षा समाज को किस तरह से प्रभावित कर रही है यह समझना।

### महत्व -

इंसान को जिंदा रहने के लिए और शरीर निरोगी रखने के लिए जिस तरह से पोषक अन्न, शुद्ध जल, प्रदूषण विरहित शुद्ध वायु जैसे घटको की जरूरत होती है। वैसे ही हमारी बुद्धी का विकास होने के लिए, खुद की उन्नति के लिए अच्छी शिक्षा का होना जरूरी है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्की शिक्षा के साथ अच्छे चरित्र का भी होना जरूरी है। इसलिये डॉ. बाबासाहब आम्बेडकरने अपने नजरियेसे शिक्षा का मुलस्वरूप किस प्रकार का होना चाहिये बताया है। और उसका समाज में प्रभाव कैसा होना चाहिये यह भी बताया है। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर

के नजरिये से शिक्षा का मुलस्वरूप और अभी चल रही शिक्षा नीति समझने की दृष्टि से यह शोधपत्र महत्वपूर्ण हैं।

### विषय विवेचन -

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर अपनी अलौकिक बुद्धि और शिक्षा में रुचि के साथ, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के साथ मुंबई में प्रवेश किया। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़, जिन्होंने डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर की शिक्षा में मदद की एसलिये वह न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएच.डी प्राप्त करने में सक्षम हुये। कोल्हापुर के शाहू महाराज की आर्थिक मदद से, डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर लंदन विश्वविद्यालय में डी.एस.सी और ग्रेन से कानून में स्नातक प्राप्त करने में सक्षम हुये। सन 1923 में अमेरिका और यूरोप के दो दौरों के बाद, डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर मुंबई क्षेत्र के सबसे शिक्षित व्यक्ति के रूप में भारत लौटे इस दौरान उनका आत्मविश्वास और हठ, शिक्षा में उनकी आस्था और लचीले संसदीय लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था बढ़ने लगी। वह इस अवधि के दौरान किसी भी यूरोपीय राजनीतिक समूह से संबंधित नहीं थे। वह इस विचार के साथ भारत लौटे कि, भारत को अपना संसदीय लोकतंत्र बनाना चाहिए और असमानता की समस्या का अपना समाधान स्वयं खोजना चाहिए।

1935 तक, डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के काम ने तीन अलग-अलग रास्ते अपना लिए थे। पहला अछूतों को संगठित करना और उनमें जागृती निर्माण करणे का सबसे सफल तरीका था। ऐसा संगठन और जागरूकता उन्हें अपने स्वयं के समाचार पत्र सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों और परिषदों से प्राप्त होती हैं जिन्हें उत्पीड़ित वर्ग की परिषद कहा जाएगा। अछूतों का प्रतिनिधित्व, साइमन कमीशनद्वारा किया गया था, जिसे नागरिक अधिकारों पर साउथबरो कमेटी रिफॉर्मर्स, अछूतों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध और लंदन में प्रसिद्ध गोलमेज सम्मेलन में डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के काम का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने जो तीसरा विकल्प चुना वह निम्न वर्ग की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। पहले तो उन्होंने जोर दिया और छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रावासों का निर्माण किया, जबकि वे अभी भी स्कूल में थे, और अंत में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी सहित कई कॉलेजों की स्थापना करके निचली कक्षाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया।

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर की विचारधारा से शिक्षा -

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर का मानना था कि, अछूतों को न केवल साक्षरता के लिए बल्कि अपना उत्कर्ष करणे के लिये, उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। हिन्दू समाज के निम्नतम वर्ग से होने के कारण डॉ. बाबासाहब आम्बेडकरने शिक्षा के महत्व को समझा है। सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि, निम्न वर्ग आर्थिक विकास पर फलता-फूलता हैं। निम्न वर्ग को भोजन और वस्त्र देना और उसे उच्च वर्ग पर थोपना ही एकमात्र समस्या नहीं थी। मुख्य समस्या उन्हें स्वयं और राष्ट्र की दृष्टि में होने के महत्व के बारे में आश्वस्त करना था। क्योंकि प्रस्थापित सामाजिक व्यवस्था और उनके जीवन को छीन लिया गया। उनका दृढ़ विश्वास था कि, उच्च शिक्षा के बिना इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के अनुसार सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाने का शिक्षा ही रामबाण इलाज है।<sup>3</sup>

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर को अपने देश के निरक्षरता और गरीबी को अच्छे से कल्पना थी। शिक्षा भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत थी। शिक्षा इंसान की व्यक्तिगत उन्नती एवं सामाजिक विकास का मूलाधार है। शैक्षणिक उन्नती और शैक्षणिक विकास दोनों का निकट का संबंध था। इस बात से ओ भलीभांती परिचित थे। राज्य ने दलितों के लिये शैक्षणिक उन्नती के लिये प्रयास करना चाहिये यह उनगी मांग थी। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के कहे अनुसार शैक्षणिक सुविधा जनता तक पोहचाने का काम राज्य का है। और राज्य ने ये भी देखना होगा की जो शैक्षणिक सुविधाये दी जा रही हैं वह हर व्यक्ति तक पोहचें इसलिये उन्होंने शैक्षणिक कार्य के लिये शासकीय प्रयासोंका स्वागत किया।<sup>4</sup>

### संविधान में मौजूद शैक्षणिक तरतूद -

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ने गरीब और निचले वर्ग के लिये, समाज में समानता प्रस्थापित करणे के लिये संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद का चयन किया जिससे आज समाज में सभी प्रकार की समानता दिखाई दे रही हैं। वह अनुच्छेद निचे दिखाई दे रहे हैं।

**अनुच्छेद 15** - धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिक के प्रति राज्य में भेदभाव नहीं करेगा।

**अनुच्छेद 16** - पाच भागों में विभक्त हैं।

**अनुच्छेद 16 (1)** - राज्याधीन नोकरीया अथवा पदों पर नियुक्ति सम्बन्ध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

**अनुच्छेद 16 (2)** - केवल धर्म, मूलवंश, जाती, वंश, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी एक नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नोकरी या पद के विषय में अपात्र नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 16 (4) - जिन जातियों के लोगोको सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, उनके लिए पदों तथा नौकरीयों का राज्य आरक्षण कर सकता है।

अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त कर इन्हे व्यवहार में लांना अपराध घोषित किया।<sup>5</sup>

अनुच्छेद 28 - शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।<sup>6</sup>

अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यांक वर्गों के हितों का संरक्षण।

अनुच्छेद 30 - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यांकों का अधिकार।<sup>7</sup>

अनुच्छेद 45 - सब बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।

अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्लभ विभागों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों कि उन्नती का प्रावधान।<sup>8</sup>

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकरने भारतीय संविधान में इस तरह की महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का चयन करके यहाँ पे फैला हुआ जातिभेद, पंथभेद व शैक्षणिक मतभेद समाप्त करने की कोशिश की है। ऊपर मैजुद अनुच्छेदों के अनुसार भारत के हर जाति का, हर पंथ का, हर भाषा का, विभिन्न प्रदेश में रहने वाले लोक इनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं हो सकता। उच्च पद पर विराजमान तथा नौकरीयों में केवल शिक्षा को ही महत्वपूर्ण मानकर शिक्षा को उच्च दर्जा प्रदान किया है।

#### निष्कर्ष -

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकरने सभी नागरिकों को समान हक मिलने के लिए प्रदीर्घ संघर्ष किया। प्रदीर्घ काल की संघर्ष से उन्होंने भारतीय नागरिकों के कानून के समक्ष सभी जाति - धर्म, पंथ - पक्ष के जनता को समानता, शैक्षणिक स्तर पर सभी प्रकार की समानता, सरकारी नौकरीयों में समानता मिलने के लिये कोशीश की। अगर उनकी राजकीय पक्ष की बात करे तो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। मगर उनकी शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो उन संस्थाओं को अभूतपूर्ण जीत हासिल हुयी।

अल्पसंख्यांक, निचले जाति के लोग, गरीब और आम जनता को मिला हुआ स्वाभिमान, उनकी शैक्षणिक उन्नती, और उनपर आज तक टिका हुआ डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के विचारों का प्रभाव आजकी राजनीति में भी बदलाव ला सकता है। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकरने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी क्षेत्र में दिखाई देता है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में रहा। क्योंकि शिक्षा ही हर एक क्षेत्र का मूलाधार बना हुआ है। सांस्कृतिक एकता, समानता, आर्थिक स्थिती, सरकारी नौकरी तथा उच्चपदों पर

विराजमान होकर नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिये आज हरक्षेत्र में गरीब, निचले जाती के लोग हर संस्थानों में जाति भेद, धर्मभेद, पंतभेद को भूल कर एक साथ कार्य करते हुये दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण समाज में हुआ शैक्षणिक बदलाव है।

#### तळटीप -

1. केनेथ एल. डॉयञ्च थामस पंचम - आधुनिक भारतीय राजकीय विचार, SAGE प्रकाशन, नवी दिल्ली 1986. पृ. क्र. 184.
2. उक्त. पृ. क्र. 185.
3. उक्त. पृ. क्र. 197.
4. पाटील, वा. भा. - आधुनिक भारतातील राजकीय विचारवंत भाग - 2, प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव प्रथम आवृत्ती 2009. पृ.क्र. 211.
5. त्रिवेदी, आर. एन.; राय एम.पी. - भारतीय संविधान, विश्वभारती पब्लिकेशन, नवी दिल्ली 2011. पृ. क्र. 58.
6. उक्त. पृ. क्र. 68.
7. उक्त. पृ. क्र. 67
8. उक्त. पृ. क्र. 76.

#### संदर्भ ग्रंथ -

1. Ambedkar, Dr. Babasaheb - Writing and Speeches, Vol XIX.
2. Kir, Dhananjay - "Dr. Babasaheb Ambedkar", Popular Prakashan, Taddev, Mumbai. Sixth Edition 1989.
3. Rai, B.C. - History of Indian Education, Lucknow, Prakashan Kendra. 1984.